फर्द अहकाम

प्रतापसिंह वगै0 बनाम सुगनसिंह वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 109/2024

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.12.2024	अधिवक्ता श्री रामसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद कराने तथा विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करने, सींव नहीं तोडने, निर्माण नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया गया। हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण, शपथ पत्र एवं दस्तावेज से संतुष्ट होकर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 229 रकबा 1.3530 हे0, खसरा नं0 409/226 रकबा 1.2771 हे0, खसरा नं0 411/229 रकबा 0.9484 हे0 वाकै ग्राम मुरलीपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 कि विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे, निर्माण नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	3/1/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/2/25 को पेश हो।	
	14.2.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~अन्य न्यायकार्य में व्यस्त~~ का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यांयालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं.   /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	5/3/25	[illegible] हुई। P.O. सा. ~~अन्य~~ का स्थानान्तरण हो गया। ~~[illegible]~~ । अतः पूर्व आदे[illegible] दि. 2/5/25 [illegible]	
	2.5.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9/7/25 को पेश हो। dSG उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	9/7/25	[illegible]ली पेश हुई। P.O. सा. अन्य [illegible]र्य में व्यस्त है। अतः पूर्व [illegible]नुसार दिनांक 23/7/25 को पेश हो।	
	23/7/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 8/8/25 को पेश हो	
	8/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक [illegible] ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 27/8/25 को पेश हो।	
	27.8.25	पत्रावली पेश हुई। वुकलाए फरीकैन उपस्थित। पूर्व निर्देश की पालना में पत्रावली दिनांक 3/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	3.9.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 10/9/25 को पेश हो	
	10.9.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 19/9/25 को पेश हो	

फर्द अहकाम

बनाम

ालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

सं.   / 202.......

ं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.9.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 3/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	3.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	24.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक ~~[illegible]~~ 7.11.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	7.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	12.11.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 19.11.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	19.11.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21.11.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	21.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकैन उप०। प्रकरण से संबंधित मूल वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार होने से खारिज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	

Advo रामरतन
द्वारा प्रस्तुत
किया
रिपोर्ट
05/12/24

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र सं0 109 / 2024

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टी0ऐ0

1. प्रताप सिंह पुत्र सुमेर सिंह
2. रामसिंह पुत्र सुमेर सिह
3. सौभाग कंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।

............प्रार्थीगण

बनाम

1 सुगनसिंह पुत्र गुमान सिह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान।

2 हनुवन्त सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान ।

3 तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

सौभाग कंवर

रामसिंह

प्रतापसिंह

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1 यह कि प्रार्थीगण ने उनवानी वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

2 यह कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता खाता संख्या नया 251 खाता संख्या पुराना 217 की आराजी खसरा नंबर 229 रकबा 1.3530 हैक्टेयर खसरा नंबर 409/226 रकबा 1.2771 हैक्टेयर कुल रकबा 2.6301 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुरलीपुरा, पटवार हल्का मुरलीपुरा, भू0अभि0नि0क्षेत्र हिगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में अंकित है तथा आराजी खसरा नम्बर 411/229 रकबा 0.9484 हैक्टेयर वाके ग्राम मुरलीपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान मे स्थित है उक्त दोनो आराजीयात पर वादीगण काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है।

3 यह कि प्रार्थीगण अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा वादीगण की आराजीयात के लगवा आराजी खसरा नम्बर 411/229 रकबा 0.9484 हैक्टेयर स्थित है जिस पर भी बुर्जगान के समय से वादीगण ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । लेकिन प्रतिवादी सं01 ने पूर्व मे न्यायालय से एक पक्षीय डीग्री करवाकर उक्त खसरा नम्बर का तकासमा करवा कर अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लीया है । जबकी उक्त आराजीयात पर केवल मात्र वादीगण ही काबिज काश्त है। प्रतिवादी सख्या 01 आये दिन वादीगण की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश करते रहते है। वादीगण ने प्रतिवादी को कई मरतबा मना किया तथा

शोभाग कंवर रामसिंह

जयसिंह

विवादग्रस्त आराजी का विभाजन पुनः दुबारा करने को कहा लेकिन प्रतिवादी विभाजन न करवाकर अनाधिकृत रूप से वादीगण के हिस्से की आराजीयात पर अतिक्रमण करना चाहते है। प्रतिवादी सं01 वादीगण की आरजीयात पर जबरन निर्माण करना चाहते है। तथा प्रतिवादी अपने नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुये खसरा नम्बर 229 पर भी कब्जा करने पर आमादा है । जिसके फलस्वरूप आये दिन लडाई झगडा कर पुलिस थाना जोबनेर मे झुठे मुकदमे दर्ज करवाते है ।

4 यह कि प्रार्थीगण दिनांक 18.11.2024 को अपनी आराजीयात की बाजोज करने लगा तो प्रतिवादी सख्या 01 जबरन प्रतिवादी सख्या 02 से मिलकर विवादग्रस्त आराजीयात पर जबरन फव्वारा पाईप डालकर सिचाई करने लगे जिस पर वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने लगे तब बड़ी मुश्किल से वादीगण ने प्रतिवादी सं01व 02 को रोका लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी की आयन्दा तुम्हारी जमीन में कब्जा कर जबरन बाजोत कर लेगे तथा भूमाफिया को बेचान कर देंगे और तुम्हे बेदखल कर देंगे। जिससे वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूध अप्रार्थीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

5 यह कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं01 ने वादीगण की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण करके वादी को बेदखल कर भूमाफिया को बेचान कर दिया तो वादी को असहनीय हानि होगी व अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

6 यह कि प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण—वादीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दोरानेवाद अप्रार्थीगण—प्रतिवादीगण सं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वह प्रार्थना पत्र की मद नं02 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही वादी की उक्त आराजीयात की कोई सींव तोड़े, ना ही जबरन ट्रेक्टर चलाकर बाजोत करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादी करे, ना ही जबरन फव्वारा पाईप डालकर सीचाई करे। ना ही वादीगण को तारबन्दी करने से रोके, ना ही वादी की आराजीयात को अप्रार्थीगण सं01 व 02 अपनी आराजीयात में नही मिलाए। ऐसा न तो प्रतिवादी स्वयं करे, ना ही अपने ऐजेन्ट, प्रतिनिधि, सरवेन्ट या नौकर इत्यादी से कराये व विवादग्रस्त आराजीयात की मौके व रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। इस संबंध में तहसीलदार जोबनेर को तहरीर जारी की जावे।

दिनांक 2024
04.12.

प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर–ग्रामीण

प्रार्थना पत्र सं0............../2024

प्रतापसिंह   बनाम   सुगनसिंह वगै0

शपथ पत्र

मैं प्रताप सिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान का हूँ। और निम्न प्रकार सशपथ बयान करता हूँ कि –

1 मै सशपथ बयान करता हूँ कि प्रार्थना पत्र का मद न0. 1ल06 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नही छिपाया है।

2 यह है कि मद न0.1ल06 को इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर पढा जावें।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथग्रहिता आज दिनांक 04.12.2024 को बमुकाम जोबनेर सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का मद नं01ल02 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नही छिपाया है।

शपथग्रहिता